

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम-26)

राष्ट्रीय लोक अदालत ताल्लुका खेतड़ी जिला झुन्झुनू (राज.)  
दिनांक 12.03.2022 (शनिवार)

लोक अदालत बैच न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खेतड़ी

मिसल नम्बर:-45/2022

किस्म प्रार्थना-पत्र:- अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956

अनिता देवी पुत्री मांगू जाति ब्राहमण निवासी गोरधनपुरा हाल रसूलपुर तह. खेतड़ी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भू.अ.)खेतड़ी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी जिला झुन्झुनू  
(राज.)

| तारीख<br>हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज  | नम्बर व<br>तारीख<br>अहकाम जो<br>इस हुक्म की<br>तामिल में<br>जारी हुए |
|----------------|---|--|
| 12.03.22       | <p>आज यह पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत ताल्लुका खेतड़ी न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खेतड़ी के समक्ष पेश हुई। उभय पक्षकारान उपस्थित। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन मनन किया गया। तहसीलदार खेतड़ी की जांच रिपोर्ट क्रमांक 1636 दिनांक 17.11.2021 के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।</p> <p>—:आदेश:—</p> <p>अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाके राजस्व ग्राम रसूलपुर तहसील खेतड़ी स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत 2075-2078 हाल खाता संख्या 268 में दर्ज वर्तमान प्रविष्टि अन्नी देवी पुत्री मांगू के स्थान पर अनिता देवी पुत्री मांगू दुरुस्त कर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। खाते की शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगीं। भूमि पर रहन यदि कोई हो तो, रहन मुक्त होने पर ही आदेश की पालना हो। उक्तानुसार पालना हेतु तहसीलदार (भू.अ.) खेतड़ी को आदेश की प्रति सहित तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमिल जाप्ता दाखित दफ्तर हो।</p> <p>आदेश आज राष्ट्रीय लोक अदालत ताल्लुका खेतड़ी कैम्प कोर्ट खेतड़ी में दिनांक 12.03.2022 को मजमें आम में सुनाया गया।</p> |  |

(हय्य सिंह निर्वाण)

सदस्य

राष्ट्रीय लोक अदालत

(विवेक कदारिया)

RTS

सदस्य  
तहसीलदार खेतड़ी  
तहसीलदार  
खेतड़ी (झुन्झुनू)

(रिंक कुमार)

न्यायिक अधिकारी

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खेतड़ी

राष्ट्रीय लोक अदालत

मजिस्ट्रेट खेतड़ी

